खुले खेत में वाणिज्यिक बागवानी विकास के लिए 40% तक की सब्सिडी

भारत सरकार का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) वाणिज्यिक बागवानी विकास के लिए एक वित्तीय सहायता योजना चला रहा है। इस योजना के तहत, एन एच बी परियोजना मोड पर खुले खेत की स्थितियों में एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजना चला रहा है, जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, सटीक खेती और अच्छी कृषि पद्धतियां (जी ए पी) जैसे घटक शामिल हैं।

यह योजना 2 हेक्टेयर (5 एकड़) से अधिक रकबे वाली परियोजनाओं के लिए है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली परियोजनाएं पात्र हैं।

सहायता का प्रतिरूप: क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में प्रति परियोजना की कुल लागत का 40% या 30 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित और पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों व अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% या 37.50 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित, जिसका अर्थ है कि लाभार्थियों को नामित बैंकों से ऋण लेने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत, उत्पादन इकाइयों को ऑन-फार्म पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पी एच एम) घटकों और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के साथ परियोजना मोड में एकीकृत करने की अनुमति है। एन एच बी के अनुसार, नए पौधारोपण की लागत हर फसल में अलग-अलग होगी, जिसे लाभार्थी को सहायता प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

मशरूम और टिश्यू कल्चर पर एकीकृत उत्पादन इकाइयां भी इस घटक के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए मौजूदा/नए बागों/परियोजनाओं में

सहायता के लिए कृषि मशीनरी और पी एच एम बुनियादी ढांचे, सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई जैसे घटक योजना के तहत पात्र हैं।

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

उत्पादक, निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक/उपभोक्ताओं के समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म, स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन के संघ, कृषि उपज विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगम/समितियां, कृषि-उद्योग निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस ए यू) और अन्य संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संगठन वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

विभिन्न फलों, मसालों, जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता की पेशकश की जाती है। खुले क्षेत्र की खेती के लिए योजना, पात्रता और लागत मानदंड के बारे में विवरण एन एच बी की वेबसाइट **http://www.nhb.gov.in** पर दिया गया है।